

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 03/2018 श्रीमती चांदीबाई बनाम सरकार

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-05-2018	<p>वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1914-17 दिनांक 18-9-2017 से अपीलान्ट की आराजी नंबा 3236/111 रकबा 23-16-2 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आवेदन को दिनांक 18-9-2017 को रूपान्तरण राशि पूरी जमा नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के दौरान जिला औद्योगिक केन्द्र राजसमन्द के पत्र क्रमांक 4319-20 दिनांक 15-11-2017 से औद्योगिक भूमि रूपान्तरण के लिए रूपान्तरण शुल्क में छूट के आदेश आराजी संख्या 3236/111 के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना अनुरूप जारी किये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रूपान्तरण प्रकरण सिर्फ इसलिए खारिज किया है कि रूपान्तरण शुल्क निर्देशोपरान्त जमा नहीं करवाया है। जिला औद्योगिक केन्द्र द्वारा उपरोक्त विवेचित आदेश के आलोक में न्यायहित में हम यह उचित पाते है कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट द्वारा उक्त छूट प्रमाण पत्र पेश करने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा देय राशि के नोटिस जारी करने के एक माह में यदि अपीलान्ट देय राशि जमा करवा दे तो अधिनस्थ न्यायालय इस प्रकरण में नियमानुसार रूपान्तरण आदेश जारी करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री ) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

## न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 03 / 2018 श्रीमती चांदीबाई बनाम सरकार

--	--	--

## न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 03 / 2018 श्रीमती चांदीबाई बनाम सरकार

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 03 / 2018 श्रीमती चांदीबाई बनाम सरकार

---

---


**डिगरी व सीगे अपील**

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
 उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता  
 श्री कालूलाल नादा निवासी  
 पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल  
 के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने  
 तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल  
 कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा  
 उदयपुर (राज0)  
 अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....  
 ..... उदयपुर ..... मुकाम मुखर्षे.....27..... माह .....02..... 1993

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
 हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री संजय बोहरा ....  
 ..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित  
 (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक  
 27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को  
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .....					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुक्मनामा .....					
4. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 03 / 2018 श्रीमती चांदीबाई बनाम सरकार

---

**डिगरी व सीगे अपील**

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
 उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी  
 निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा  
 जिला उदयपुर (राज0)  
 अन्य -2

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल  
 निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा  
 जिला उदयपुर (राज0)  
 अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुखर्ष.....08.....  
 माह .....07..... 2015

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
 हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री .....  
 ..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि ..... प्रकरण में  
 वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन  
 किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण  
 संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.  
 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर  
 आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रुपये..... X .....अदा  
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को  
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .....					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा .....					
8. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो।